

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 721 / 12-1

नई टिहरी, दिनांक- 06/10/ 2018

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, मु0-कीर्तिनगर।

विषय:-

जनपद-टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.746 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन पत्रावली सं0-FP/UK/ROAD/17177/2015)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/95/2017/एफ0सी0/406, दिनांक:-29-05-2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक-3961/ FP/UK/ROAD/17177/2015 दिनांक:-12-06-2018।

महोदय,

जनपद-टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.746 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन प्रस्तुत किया जायेगा:-

1- शासन की शर्त सं0-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.492 है0 ग्राम-चपोली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0:-9,73,098.00 (नौ लाख तिहत्तर हजार अठान्बे मात्र) जमा किया जायेगा। मांग की गई धनराशि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रतिपूरक वृक्षारोपण का आंकलन

- 1-हस्तान्तरण हेतु कुल आवेदित वन भूमि - 1.746 है0
2-हस्तान्तरित वन भूमि के विरुद्ध प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल-3.492 है0
3-प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु निर्धारित दर प्रति है0- 2,78,665.00
(दो लाख अट्ठहत्तर हजार छः सौ पैंन्सठ रुपये मात्र)
4-प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल मांग $3.492 \times 2,78,665.00 = 9,73,098.18$ या 9,73,098.00
(नौ लाख तिहत्तर हजार अठान्बे मात्र)

ग्राम-चपोली सिविल सोयम भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रमाण-पत्र अमल-दरामद मय नक्शा, खसरे के प्रस्तुत करना होगा।

2- शासन की शर्त सं0-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक:-05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि मु0-11,47,122.00 (ग्यारह लाख सैंतालीस हजार एक सौ बाईस रुपये मात्र) जमा किया जायेगा। मांग की गई धनराशि का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार है:-

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन

1-ईको-क्लास श्रेणी - V

2-हरियाली का घनत्व- 0.1

3-एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रुपये- 6,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र)

4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 1.746 है0

5-कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-1.746 है0 X 6,57,000=11,47,122.00

(ग्यारह लाख सैंतालीस हजार एक सौ बाईस रुपये मात्र)

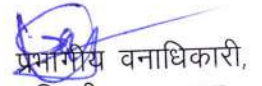
3- शासन की शर्त सं0-03 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जायगी।

4- शासन की शर्त सं0-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किया जायेगा। अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।

5- शासन की शर्त सं0-05 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।

अतः शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन लाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

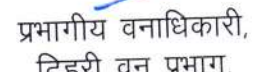
भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी